पत्रांक : 06–सू०प्रा०–55 / 2018.....

बिहार सरकार
सूचना प्रावैधिकी विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक .....

विषय : **सूचना प्रावैधिकी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भवनों में ऑफिस स्पेस के आवंटन से संबंधित दिशा–निर्देश की स्वीकृति के संबंध में।**

राज्य में आई०टी० / आई०टी०इ०एस० एवं इ०एस०डी०एम० प्रक्षेत्र के आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने तथा प्रक्षेत्रों में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित किए जाने हेतु विभागीय संकल्प संख्या–765 दिनांक 26.06.2014 निर्गत है।

2. तद्हेतु सूचना प्रावैधिकी विभाग के द्वारा विभिन्न स्थानों पर यथा– डाक बँगला चौराहा, बिहटा, राजगीर में भूमि अधिग्रहित किया गया है। अधिग्रहित भूखण्डों में से कतिपय भूखण्डों पर आधारभूत संरचनाओं का विकास Concessionaire के माध्यम से PPP मोड से कराये जाने की योजना है। इसके अतिरिक्त बिस्कोमान टॉवर स्थित 7वीं, 8वीं, 9वीं, 11वीं, 13वीं एवं 14वीं मंजिल का अधिग्रहण किया गया है।

3. सूचना प्रावैधिकी विभाग अथवा इसके द्वारा प्राधिकृत एजेंसी के द्वारा विभिन्न आधारभूत संरचनाओं, यथा आई०टी० टॉवर, आई०टी० पार्क इत्यादि को विकसित करने के क्रम में सृजित Office space एवं बिस्कोमान टॉवर के विभिन्न मंजिलों पर स्थित ऑफिस स्पेस स्टार्ट–अप तथा स्थापित आई०टी० / आई०टी०ई०एस० और ई०एस०डी०एम० कंपनियों को आवंटित किया जाएगा।

4. ऑफिस स्पेस के आवंटन हेतु दिशा–निर्देश का निर्धारण निम्न रूप से किया जाता है। यह दिशा–निर्देश मात्र उस आवंटन प्रक्रिया पर लागू होगी, जो विभाग / प्राधिकृत एजेंसी के द्वारा सीधे की जाएगी :–

(क) निवेश के लिए लक्ष्य क्षेत्रवार

राज्य के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आई०टी० / आई०टी०, आई०टी०ई०एस० और ई०एस०डी०एम० कंपनियों के साथ–साथ आई०टी०, आई०टी०ई०एस० उत्पादों और सेवाओं के अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में कार्य कर रहे स्टार्ट–अप को राज्य में निवेश हेतु आकर्षित करने का लक्ष्य है। लक्षित क्षेत्र में कार्य कर रही कंपनियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

➢ **आई०टी० / आई०टी०ई०एस० कंपनियों के लक्षित क्षेत्र :–**

- आई०टी० उत्पाद / सॉफ्टवेयर और सेवाएँ
- बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बी०पी०ओ०)
- नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग (के०पी०ओ०)
- लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग (एल०पी०ओ०)
- कॉल सेंटर
- डिजिटल कन्टेन्ट डेवलपमेंट
- स्मार्ट टेक्नोलॉजी
- इन्टरनेट ऑफ थिंग्स (आई०ओ०टी०)
- डाटा सेंटर टेक्नोलॉजी

क्रमशः 2/–

- बिग डाटा एनालेटिक्स
- कोई अन्य नई और उन्नतिशील टेक्नोलॉजी

➢ **आई०टी०, आई०टी०ई०एस० और ई०एस०डी०एम० कंपनियों के लिए कॉरपोरेट ऑफिसः–**

सूचना प्रावैधिकी के लिए इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर डिजाईन और विनिर्माण (जिसमें अन्तः स्थापित सॉफ्टवेयर शामिल होगा), टेलीक्युनिकेशन्स, डिफेंस, मेडिकल, इन्डस्ट्रियल ऑटोमेटिव, रोबोटिक्स, उपभोक्ता उत्पाद, एप्लीकेशन्स और उनके भाग, उपरोक्त उत्पादों और एप्लीकेशन्स के लिए आवश्यक हिस्से और सहायक उपकरण।

(ख) **स्टार्टअप** की परिभाषा

जैसा कि बिहार स्टार्टअप्स पॉलिसी–2017 में परिभाषित किया गया है। संदर्भ के लिए **कृपया 'परिशिष्ट–5' में परिभाषा देखें।**

(ग) **योजना कार्यकारी समिति**

ऑफिस स्पेस आवंटन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने हेतु योजना कार्यकारी समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति की संरचना, दायित्व एवं शक्तियाँ विभाग के द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(i) योजना कार्यकारी समिति की संरचना :–

प्रधान सचिव/सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग	अध्यक्ष
प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड	सदस्य संयोजक
निदेशक, उद्योग विभाग	सदस्य
आंतरिक वित्तीय सलाहकार, सूचना प्रावैधिकी विभाग/वित्त विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
संयुक्त निदेशक, एस०टी०पी०आई०, पटना।	सदस्य
निदेशक, आई०आई०टी०, पटना अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि।	सदस्य
उद्योग संघों के प्रतिनिधि (सूचना प्रावैधिकी विभाग के द्वारा मनोनीत किया जायेगा) प्रत्येक मनोनयन एक वर्ष हेतु किया जा सकेगा।	सदस्य

(ii) योजना कार्यकारी समिति के कार्य व शक्तियाँ :–

योजना कार्यकारी समिति के पास कंपनियों के चयन और स्थल आवंटन के निर्णय का अधिकार होगा। इसके कार्य निम्न होंगे :–

- स्थल के विकास और आवंटन की नीतियों/दिशा–निदेर्शों की समीक्षा एवं बदलावों का सुझाव देना।
- आवंटन के नियम व शर्त्तों की मंजूरी देना।
- कार्यालय स्थान के पट्टा किराया और शुल्कों के अन्य घटकों का निर्धारण। समिति के द्वारा अलग–अलग मंजिलों के लिए अलग–अलग दर का निर्धारण करने का भी अधिकार होगा।
- पट्टा किराया, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग–फी जैसे अन्य घटकों की समीक्षा करना और यथोचित बदलावों का सुझाव देना।
- आवंटन के लिए जगह की उपलब्धता के अनुसार हर तिमाही की शुरूआत में कंपनियों के आवेदनों की समीक्षा एवं कंपनियों का चयन करना। इस तरह प्रत्येक निमंत्रण, समीक्षा और आवंटन का सेट

क्रमशः 3/–

एक आवंटन चक्र बनाएगा। आवंटन प्रक्रिया कुल उपलब्ध ऑफिस स्पेस के 150% आवंटन क्षमता तक जारी रहेगी।

- निरीक्षण और मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर पट्टा अवधि को बढ़ाने/घटाने की किसी भी मामले का निष्पादन करना।
- **परिशिष्ट–2 और 3** में परिभाषित आई०टी०/आई०टी०ई०एस० और ई०एस०डी०एम० सेक्टर के लक्षित क्षेत्रों की समय–समय पर समीक्षा करना।
- रख–रखाव और अन्य शुल्कों का निर्धारण व समय–समय पर उसमें बदलाव करना।
- मूल्यांकन अनुश्रवण कमिटी का गठन करना व निर्देश देना।
- आवदकों के लिए पात्रता मानदंडों का निर्धारण और संशोधन।

(घ) स्टार्टअप कंपनियों का चयन और ऑफिस स्पेस का आवंटन :–

बिहार स्टार्टअप नीति 2017 में परिभाषित स्टार्टअप कंपनियों को प्लग एण्ड प्ले सुविधायुक्त ऑफिस स्पेस उपलब्ध कराई जाएगी।

प्लग एण्ड प्ले सुविधा में विकसित ऑफिस स्पेस के अतिरिक्त सामान्यतः मीटिंग रूमस, ब्रेकआउट एरिया, वॉशरूम और रिसेप्शन एरिया भी सम्मिलित होंगे। अन्य सुविधाओं में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए आवश्यक बैंडविथ के साथ फाईबर ऑप्टिक केबल, डीजल जनरेटर के माध्यम से पावर बैकअप के साथ निर्बाध पावर सप्लाई, समर्पित एलिवेटर और सुरक्षा सेवाएँ, ऑपरेशन और मेंटनेंस, हाउसकिपिंग और पेस्ट कन्ट्रोल जैसी सुविधा प्रबंधन सेवाएँ सन्निहित होंगी।

आवंटन की अवधि :– आवंटन की प्रारंम्भिक अवधि 6 माह की होगी जो सभी शुल्कों से मुक्त होगी और जिसे निरीक्षण एवं मूल्यांकन रिपोर्ट और योजना कार्यकारी समिति के निर्णय के आधार पर 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त स्टार्टअप के पास योजना कार्यकारी समिति द्वारा तय दरों पर किराए का भुगतान कर आवंटन अवधि को दो (2) वर्षों के लिए विस्तारित करने का विकल्प होगा।

(i) स्टार्टअप्स हेतु आरक्षित स्थल के आवंटन की प्रक्रिया के चरण :–

- विभाग आवंटन हेतु उपलब्ध स्थल/रिक्ति का समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित करेगा।
- योजना कार्यकारी समिति सभी प्रस्तावों का स्कोरिंग मानदंडों के अनुसार मूल्यांकन करेगी और तदनुसार स्पेस आवंटन पर निर्णय लेगी एवं मूल्यांकन अनुश्रवण समिति सभी प्रस्तावों का स्थापित मानदंड के अनुसार मूल्यांकन करेंगी एवं इस प्रकार से तैयार मेधा सूची को योजना कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णयार्थ रखेगी।
- योजना कार्यकारी समिति द्वारा आवंटन पर निर्णय।
- सभी चयनित स्टार्टअप के साथ एकरारनामा।

(ii) स्टार्टअप्स के लिए रिक्ति की अधिसूचना

स्टार्टअप्स के लिए उपलब्ध स्थान की सूचना दो प्रमुख अंग्रेजी और एक हिन्दी राष्ट्रीय समाचार–पत्र में विज्ञापन के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

(iii) स्पेस आवंटन के लिए आवेदन का विवरण

कृपया इसके लिए '**परिशिष्ट–1**' देखें।

क्रमशः 4/–

(iv) मूल्यांकन मानदंड

स्टार्ट–अप कंपनियों को स्थल का आवंटन निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर किया जाएगा :–

- प्राथमिकता के क्षेत्र और अनुसंधान और विकास सेवाओं में काम करने वाली कंपनियाँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और आई०टी०/आई०टी०ई०एस० एवं ई०एस०डी०एम० सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाली कम्पनियां आवेदित कर सकेंगी। आई०टी० कंपनियाँ, जो इस परिसर को केवल मार्केटिंग कार्यालय के रूप में इस्तेमाल करेंगे, उन कंपनियों को स्थान आवंटन नहीं किया जाएगा।
- विचार की गुणवत्ता, संभाव्यता, व्यवसायिक योजना, राजस्व मॉडल टीम की संरचना इत्यादि।

(1) वस्तुगत मूल्यांकन :–

क्रमांक	मानदंड		अंक
1.	मूलभूत कार्य क्षेत्र	आई०टी० और आई०टी०ई०एस० सेक्टर में अनुसंधान और विकास सेवाएँ **(परिशिष्ट–4)**	30
		लक्षित क्षेत्र में उत्पाद/सॉफ्टवेयर विकास **(परिशिष्ट–3)**	25
		गैर–लक्षित क्षेत्र में उत्पाद/सॉफ्टवेयर विकास विकास	20
2.	स्थापना के वर्ष (अवधि की गणना मूल्यांकन तारीख पर की जाएगी)	1 वर्ष से कम	15
		1 वर्ष से ज्यादा या 3 वर्ष	10
		3 वर्ष से ज्यादा और 5 वर्ष से कम	05
3.	बिहार स्टार्टअप नीति 2017 के अन्तर्गत सर्टिफाईड स्टार्टअप कम्पनी।		05
		कुल अंक (ए)	50

(2) विषयपरक मूल्यांकन :–

क्रमांक	मानदंड		अंक
1.	• विस्तृत व्यवसाय/प्रोजेक्ट योजना		25
	• विचार की गुणवत्ता, संभाव्यता, व्यवसायिक योजना, राजस्व मॉडल टीम की संरचना इत्यादि।		
2.	उत्पाद विवरण और प्रौद्योगिकी क्षेत्र		25
		कुल अंक (बी)	50

(3) कुल तकनीकी स्कोर

कुल प्राप्तांक–(ए)

कुल प्राप्तांक–(बी)

संचयी तकनीकी स्कोर–(100 में से)

क्रमशः 5/–